



UPSN040021422011

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, भदोही-ज्ञानपुर।
पीठासीन अधिकारी-शिंजिनी यादव (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

J.O. CODE-UP03473

मुकदमा परिवार नम्बर-1162/2011 ई०

भानू प्रताप पुत्र श्री प्रेमशंकर

निवासी-ग्राम-आनन्दडीह थाना दुर्गागंज जनपद भदोही

-----परिवादी

बनाम

1-अवधराज पुत्र जंगी

2-राजदेव पुत्र फिरंगी

निवासीगण ग्राम-आनन्दडीह थाना दुर्गागंज जनपद भदोही

-----अभियुक्तगण

धारा-323, 435, 452, 504, 506 भा० दं० सं०

थाना-दुर्गागंज, जिला भदोही।

-निर्णय-

1- प्रस्तुत आपराधिक परिवार में अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव का विचारण धारा-323, 504, 506, 435, 452 भा०दं०सं० के अन्तर्गत परिवारी भानू प्रताप द्वारा प्रस्तुत परिवार के आधार पर किया गया है।

तथ्यात्मक विवरण:-

2- संक्षेप में परिवार कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2011 ई० को समय 11 बजे दिन प्रार्थी के गांव के अवधराज पुत्र जंगी व राजदेव पुत्र फिरंगी एक राय होकर भदोही-भदोही गाली देते हुये प्रार्थी के दरवाजे पर चढ़ आये और कहे कि घर के बगल बाऊन्ड्री क्यों बनाये हो। प्रार्थी ने कहा प्रार्थी के हिस्से का बाग है आप पेड़ो को काटकर अपने हिस्से से ज्यादा कब्जा कर चुके है तो अवधराज ने कहा कि इसका बाऊन्ड्री वाल गिरा दो और जबरजस्ती गिराने लगे। मना करने पर मारते हुये दौड़ा लिये। प्रार्थी अपने मड़हे में चला गया। दोनो मुल्जिमान लात मुक्के से मारने लगे। प्रार्थी अपने मड़हे में चला गया। प्रार्थी को बचाने प्रार्थी की औरत व भाभी आयी उन्हे भी मड़हे के अन्दर ढकेल कर गिरा दिये। जान से मारने की नियत से अवधराज व राजदेव ने मड़हे में दिया-सलाई से आग लगा दी। आग जलते देखकर गवाहान धर्मेन्द्र व कबूतरा व अन्य बहुत से लोग आ गये तथा प्रार्थी की जान बचाई तथा आग को भी बुझाया। आग से हजारो रुपया का नुकसान हुआ। संजोग से प्रार्थी, प्रार्थी के परिवारजन व प्रार्थी की गाय भैंस जलने से बच गये। उपरोक्त लोग जाते समय धमकी दिये कि पुनः बाऊन्ड्री बनाओगे तो घर में ताला बन्द करके तुम लोगो को फूंक देंगे। घटना की रिपोर्ट थाना दुर्गागंज में दी गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तत्पश्चात घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब न्यायालय में वाद दाखिल किया गया।

न्यायालय की कार्यवाही:-

3- परिवारी का बयान अन्तर्गत धारा-200 दं० प्र० सं० व गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा-202 दं० प्र० सं०- पी० डब्लू०-1 के रूप में सोमारी देवी, पी० डब्लू०-2 के रूप में कबूतरा देवी और पी० डब्लू०-3 के रूप में कृष्ण राज का बयान अंकित होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव को आदेश दिनांकित 13.02.2012 ई० द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा-323, 435, 452, 504, 506 भा० दं० सं० में विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी जमानत करायी।

- 4- तत्पश्चात परिवादी की ओर से साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं० प्र० सं० में पी० डब्लू०-1 भानू प्रताप को परीक्षित कराया। अन्य किसी साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 244 दं० प्र० सं० अंकित नहीं कराया गया।
- 5- न्यायालय द्वारा परिवादी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं० प्र० सं० पर्याप्त पाते हुये अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा -323, 435, 452, 504, 506 भा० दं० सं० दिनांक 23.11.2016 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।
- 6- परिवादी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में साक्ष्य अन्तर्गत धारा -246 दं० प्र० सं० में बतौर पी० डब्लू०-1 स्वयं को, बतौर पी० डब्लू०-2 सोमारी देवी, बतौर पी० डब्लू०-3 कृष्ण राज को परीक्षित कराया गया। साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं० प्र० सं० में परिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः परिवादी साक्ष्य समाप्त हुआ।
- 7- अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० दिनांक 23.12.2017 को अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा रंजिश के तहत झूठा परिवाद प्रस्तुत करने का कथन किया गया। सफाई साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा वाद पत्र मुकदमा नम्बर -787/2011 माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) ज्ञानपुर भदोही की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गयी।
- 8- परिवादी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। बहस के स्तर पर अभियुक्तगण द्वारा 437A दं० प्र० सं० के अनुपालन में जमानत प्रस्तुत की गयी।

साक्ष्य का अभिमूल्यन:-

9- परिवादी/साक्षी पी० डब्लू०-1 भानू प्रताप ने अपने बयान अंतर्गत धारा-244 दंड प्रक्रिया संहिता में सशपथ परिवाद कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि, " घटना दिनांक 29.08.2011 समय लगभग 11 बजे दिन मैं अपने घर बैठा था। अवधराज, राजदेव एक राय होकर आये व हमसे कहे कि बाग में बाउन्ड्रीवाल क्यों बनाये हो। तो मैंने कहा कि मैं अपने बाग के हिस्से में बनाये है और आप लोग अपने हिस्से में ज्यादा बनाये हो पेड़ काट कर तो इतने में अवधराज ललकारते हुये हमारी बाउन्ड्री वाल गिराने लगे तो मैंने मना किया तो अवधराज व राजदेव भट्टी-भट्टी गाली देते हुये मुझे मारने के लिये दौड़ाये तो मैं वहा से भागकर मैं अपने रिहायसी मड़हे में चला गया तो मुल्जिमान मड़हे में घुसकर लात मुक्का व लाठी डण्डा से मारने पिटने लगे तो मेरे शोर पर मेरी भाभी सुमारी देवी व मेरी औरत ऊषा देवी बचाने आईं। मुल्जिमान उसी मड़हे में उन लोगो को ढकेल कर मारे पीटे तथा जो पाये छिन लिये। मड़हे में आग लगा दिये तथा जाते समय कहा कि आज तो बच गये आइन्दा जान से मार डालेंगे। घटना की सूचना थाना दुर्गागंज में दिया रिपोर्ट नहीं लिखी गयी एस. पी. महोदय को जरिये रजिस्ट्री सूचना दी परन्तु कोई कार्यवाही ने होने पर परिवाद दाखिल किया। इस घटना को गांव के कबूतरा देवी व धर्मेन्द्र कुमार व बहुत से लोगो ने देखा व बीच बचाव किया। "

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया कि, " घटना कारित करने में दीनानाथ , बिहारी , सन्तोष नहीं थे। 29.08.2011 ई० दिन सोमवार था। घटना कारित करने में कुल दो लोग थे। यह घटना लगभग 11.00 बजे दिन की थी। घटना के समय काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। "

उक्त साक्षी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिरह दिनांकित 18.05.2017 में सशपथ यह कथन किया कि , " विपक्षी और हम पड़ोसी है एक खानदान के नहीं है। इस समय हम खेती बारी करते हैं। झगड़ा सितम्बर में हुआ था। झगड़ा बरसात के समय हुआ था। झगड़ा के समय बहुत से गांव के लोग थे। झगड़ा बाउन्ड्री वाल बना हुआ था उसी के बीच हुआ था। गांव के बहुत से लोग थे। धर्मेन्द्र कुमार, देवी प्रसाद व कबूतरा देवी आदि बहुत से लोग थे। गांव में कोई पंचायत नहीं किया था। अवधराज का घर हमारे घर से 10 कदम पर है। राजदेव का घर 60 से 70 मीटर पर है। घटना स्थल पर बहुत से लोग उपस्थित थे। उस समय कोई पंचायत नहीं हो रही थी। मेरा और विपक्षीगण का मेल मिलाप नहीं है। पुरानी रंजिश है। कितनी पुरानी रंजिश है हमे नहीं पता।" दिनांक 19.05.2017 को पुनः गवाह न्यायालय उपस्थित आकर जिरह में सशपथ कथन किया कि , " अवधराज मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं किये है। अवधराज के पिता मेरे व मेरे परिवार के ऊपर मुकदमा किया है जो इसी न्यायालय में विचाराधीन है। मुल्जिमान जब मेरे पास आये तो फावड़ा व हथौड़ा लिये थे, फावड़ा हथौड़ा से नहीं मारे थे। मैंने बाउन्ड्री वाल मकान के बगल में बनाया था। बाउन्ड्री की चौड़ाई व ऊचाई कितनी थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाउन्ड्री कच्ची है कि पक्की है इसकी जानकारी मुझे नहीं है बाउन्ड्री पक्की है। बाउन्ड्री में ईट कितना लगा था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ईट कहा से खरीदी गयी थी इसकी जानकारी नहीं है। गांव मड़ई मतेथू है। घटना 10-15 मिनट तक हुयी है। बाउन्ड्री की लम्बाई कितनी है मैं नहीं बता सकता। मुल्जिमान मुझे लात मुक्का से मारे थे। मुल्जिमान मुझे जोर से मार रहे थे। एक-एक

मुल्जिमान मुझे कितना मुक्का मारे थे मैं नहीं बता सकता। एक-एक मुल्जिमान मुझको कितनी-कितनी लाठी मारे। मेरा मड़हा घटना स्थल से 10 कदम की दूरी पर है। मड़हा खुल्ला था। मेरे मकान से जिसका मुहाना हरिहर की तरफ है उसमें मड़हा दस कदम पश्चिम की तरफ है। घटना स्थल से मेरे मकान का दरवाजा 10 कदम की दूरी पर है। जब मैं मड़हा पर पहुंचा उसके 3-4 मिनट बाद मड़हा में आग लगी। मड़हा में आदमी रहते थे। पशु भी रहते हैं। घटना के समय मड़ई में जानवर नहीं थे। मड़हा के अन्दर नाद नहीं था। मड़हा पूरा जला नहीं था बचा लिया गया था। घटना के 1- 2 मिनट बाद भाभी आयी। घटना के समय ही गवाह लोग आये। घटना के समय काफी लोग आ गये थे। घटना के समय 25-30 लोग आये थे। बहुत से गांव के लोग आ गये थे। धर्मेन्द्र कुमार कबूतरा देवी, कृष्ण राज, देवी प्रसाद, गुलाब, नन्दलाल, लालजी आदि बहुत से लोग आ गये थे। कड़ेदीन, मोतीलाल, सोमारी देवी बहुत से लोग थे, सबका नाम नहीं बता सकता। इसके परिवार व गांव के लोग भी व अन्य लोग भी हैं। मैं आग को हाथ से नहीं बुझा रहा था।

प्रश्न:- आग लगने से बुझाने तक कितना समय लगा ?

उत्तर:-आग लगने से बुझाने तक का समय आधा घण्टा लगा था। घटना के तीन-चार महीने पहले का मड़हा छाया हुआ था। यह कहना सही है कि जिस मड़ई में आग लगी थी उसमें केवल मवेशी रहते थे।

प्रश्न:- जिस बाग में आप घटना कहते हैं उसमें क्या हिस्सा मुल्जिमान का भी है ?

उत्तर:- मुल्जिमान का हिस्सा बाग में है लेकिन जले हुए मड़हे के पास वाली जगह में मुल्जिमान का हिस्सा नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान केवल जान माल की धमकी दिये थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान व मुझसे दीवानी व फौजदारी के कई मुकदमें चल रहे हैं उसी में नाजायज दबाव डालने हेतु यह झूठा मुकदमा कायम कराया है। घटना के बाद मैं थाने पर गया था। मेरी एफ. आई. आर. थाने पर हमें नहीं हुई। यह कहना गलत है कि रंजिशन में झूठा मुकदमा कायम कराया हूं व झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। "

10- साक्षी पी०डब्लू०-2 सोमारी देवी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० के स्तर पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। साक्षी पी०डब्लू०-2 सोमारी देवी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता में सशपथ यह कथन किया कि, " झगड़ा हुए 4-5 साल हुआ। समय 11 बजे दिन का था। झगड़ा मेरे दरवाजे पर हुआ था। राजदेव, अवधराज मेरे दरवाजे पर आये थे। मुल्जिमान मेरे देवर भानू प्रताप को लात मुक्का से मारे। भट्टी भट्टी गाली दिये। भानू प्रताप मार खाने लगे तब अपने मड़ई में भाग गये तो उक्त मुल्जिमान मेरे मड़ई में घुसकर भानू प्रताप को मारने लगे। मड़ई में गोरू बांधते हैं। हम लोग सोते, उठते बैठते नहीं। भानू प्रताप के शोर पर मैं देवरानी ऊषा आकर बचाने गयी तो उक्त मुल्जिमान हम लोगो को मारे-पीटे, झोटी पकड़ कर गिरा दिये। मुल्जिमान हम लोगो को तथा भानू प्रताप को मारते हुए मड़हा से बाहर ले आये। मड़हा जलाये नहीं थे। हमको व भानू प्रताप को घसीटकर बाहर कर दिये फिर मड़हा को दिया सलाई से आग लगा दिये। गाव के बहुत से लोग आ गये थे। बाउन्ड्री बना लिये थे इसलिये झगड़ा हुआ था। मुल्जिमान जाते समय जान से मारने की धमकी दिये। भानू प्रताप को ज्यादा चोट नहीं लगा था। लात मुक्का का चोट था। "

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किया कि, " मैं भानू प्रताप अलग-अलग नहीं है। भानू प्रताप के पिता दो भाई हैं। दोनो भाई में 9 वर्ष पहले अलगगौजी हुआ था। खेत में अलगगौजी हो गयी थी। घर में नहीं। घर कच्चा पक्का दोनो है। घर में अलगगौजी नहीं हुई इसलिये अलग अलग कमरे की कोई बात नहीं। कच्चा मकान चार घर का है। कच्चा मकान एक रुम में खाना हम बनाते हैं दूसरे में भानू प्रताप का खाना बनता है। सामान भी एक कमरे में मेरा रहता है दूसरे कमरे में भानू प्रताप का। पक्का मकान एक तीन रुम का है। एक जगह दो रुम है। फिर एक जगह दो रुम है। एक जगह आठ रुम है। 3-4 जगह पक्का मकान है। फिर कहा 4 जगह पक्का मकान है। मेरे परिवार में 10 लोग है। भानू प्रताप के परिवार में 13 लोग है। भानू प्रताप से व अवधराज से कुल कितने मुकदमें चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम हमें नहीं मालूम कि अवधराज के पिता जोगी प्रसाद यादव ने मुकदमा दाखिल किया है जिसमें नंदलाल, भानू प्रताप, बड़ेलाल, बलवन्ता व कन्हई मुल्जिम है। बाउन्ड्री बनाने के लिए 4-5 साल पहले झगड़ा हुआ था। बाउन्ड्री वहा नहीं बनी। राजदेव बम्बई रहते हैं कि सूरत हमें नहीं पता, लेकिन परदेश रहते हैं। यह नहीं बता सकती कि कई साल पहले से परदेश रहते हैं। परदेश रहते हैं शादी विवाह में आते हैं। अब भी आये हैं। आग लगने से कुछ जला नहीं था। मड़ई जल गयी थी। मड़ई के साथ मड़ई का सब सामान जल गया था। मड़ई का चून, छप्पर, बरैर, छाजन सब जल गया था। जैसे आग लगी वैसे मैं मड़ई के पास पहुंची। मेरे पहुंचने के बाद बहुत लोग पहुंचे। मेरे पहुंचने के बाद लालजी, देवी प्रसाद, कबुतरा और बहुत से लोग पहुंच गये जिसका नाम नहीं बता सकती। मुल्जिमान लोग भानू प्रताप को खदेरे नहीं थे भानू प्रताप वही थे। भानू प्रताप जहा थे मुल्जिमान उसके पास ही थे। मुल्जिमान लोग 2-4 हाथ दूरी पर थे। मुल्जिमान घटना के समय मेरे पास ही थे। घटना होने में कुल 5-7 मिनट का समय लगा। मैंने इनता गिना नहीं था कि मुल्जिमान

कितना कितना लात व मुक्का मारे थे। मैं अन्दाज से क्या बताऊ गिनी नहीं कि मुल्जिमान भानू प्रताप को कितना लात व मुक्का मारे थे। मुल्जिमान भानू प्रताप को जल्दी जल्दी मार रहे थे। मुल्जिमान भानू प्रताप को लाठी डण्डा से नहीं मारे थे। मार खाकर भानू प्रताप गिर गये थे। जहा भानू प्रताप गिरे थे वहा ईट पत्थर नहीं था। मुल्जिमान हमको लात मुक्का से नहीं मारे थे। जब देवी प्रसाद आदि आने लगे तो मुल्जिमान लोग अपने घर भाग गये। मेरे पहुचने के कितने मिनट बाद देवी प्रसाद आदि पहुचे थे इस समय याद नहीं है। मुल्जिमान मारने पीटने के अलावा हम लोगो का सामान नष्ट नहीं किये थे। मुल्जिमान से व भानू प्रताप से घटना के समय बात चीत हो रही थी। जिस समय घटना है सूर्य डूबा नहीं था। यह कहना गलत है कि भानू प्रताप की सगी भाभी होने के कारण झूठा बयान दे रही हूं। यह भी कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यह कहना गलत है कि जिस समय की घटना है उस समय मैं खेत में काम करने गयी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने न तो मारा-पीटा, न तो धमकी दिया, न तो कोई वारदात किया। मुझे जब चोट लगी तो मुझे कहि टूटा फूटा नहीं था। मुल्जिमान मुझे मारे पीटे नहीं थे। झोटी पकड़कर घसीटे थे। केवल मड़ई के बाहर किये थे। मुल्जिमान लोग हाथ नहीं पकड़े थे, धक्का दिये थे।"

11- साक्षी पी०डब्लू०-3 कृष्ण राज को परिवारी द्वारा साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० के स्तर पर परीक्षित नहीं कराया गया था। साक्षी पी०डब्लू०-3 कृष्ण राज द्वारा बयान अंतर्गत धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता में सशपथ यह कथन किया गया कि, "घटना दिनांक 29.08.2011 ई० को समय 11.00 बजे दिन की है। झगड़ा आनन्दडीह भानू प्रताप यादव के घर हुआ था। भानू प्रताप अपने दरवाजे पर बैठे थे। उसके बाद अवधराज व राजदेव आदि आये पूछने लगे कि बाउन्ड्री किसने बनवाया है तो भानू प्रताप ने कहा कि बाउन्ड्री मैं अपने जमीन में बनवाया हूं। फिर अवधराज व राजदेवी कहने लगे कि बाउन्ड्री तुम्हारे में नहीं है और तोड़ने लगे। भानू प्रताप ने विरोध किया तो विपक्षीगण ने भानू प्रताप को मारने लगे और मां बहन की गाली देने लगे। भानू प्रताप अपने मड़हे में भाग गये। शोरगुल सुनकर उनकी भाभी व पत्नी भी बचाने आयी तो अभियुक्तगण उनको धक्का देकर गिरा दिये और मड़हे में आग लगा दिये। अभियुक्तगण जाते समय जान से मारने की धमकी दिये। मेरे अलावा गांव के बहुत से लोग आ गये तथा बीच बचाव किये।"

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने सशपथ कथन किया कि, " मैं बी. ए. तक पढ़ा हूं। मेरी शादी 26.06.2006 ई० को हुई। मेरी जन्म तिथि 10.06.1982 है। जब मैं आनन्दडीह ननिहाल मे आया था उस दिन सोमवार था मैं ननिहाल करीब 10 बजे पहुचा था। मैं अपने निजी सम्बन्ध से आया था। भानू प्रताप का कुल दो मकान है। दोनो मकान की दूरी करीब 40 मीटर होगी। एक मकान अवधराज के मकान के दक्षिण है। मैं भानू प्रताप के मकान पर आया ही नहीं। जिस मकान पर मैं आया वह मकान भानू प्रताप के मकान के पश्चिम तरफ है। जब मैं ननिहाल पहुचा तो वहा मेरी मामी व उनका लड़का मुरारी मिले मैं अपनी मामी के दुआर पर बैठा था। जहा मैं बैठा था वहा मामी का दुआर उत्तर दिशा मे है। जहा मैं बैठा था उसके उत्तर कुआं है। कुआ के दक्षिण भानू प्रताप का पक्का मकान नहीं है बल्कि पूरब है। कुआ के उत्तर में जवाहर लाल का घर है जहा मैं बैठा था उसके पूरब दिशा में झगड़ा हुआ था। जहा मैं बैठा था जहा झगड़ा हुआ था उसके बीच में दो मड़हे है और वह मड़हा चारो तरफ खुला है। केवल दो थून है। जहा झगड़ा मैं कह रहा हूं वहा जोतने बाने वाला खेत नहीं है। मैं जहा बैठा था मैं वहा चाय पी रहा था। चाय पानी करने में आधा-पौना घण्टा लगा था। मैं ननिहाल में खाना खाकर ही गया था। मैं लगभग 12 बजे खाना खाकर वापस गया था। खाना खाकर 1 बजे गया था। जब मैं घर से ननिहाल आया और अपने घर वापस आया इस बीच गांव में टहल कर किसी का हाल-चाल नहीं पूछा था। मैं वही बैठा था। मैं ननिहाल में हर लोगो का नाम नहीं जानता हूं। मैं ननिहाल में बीस पच्चीस लोगो का नाम नहीं जानता हूं। अवधराज के परिवार में कितने लोग बाहर रहते मैं नहीं जानता। घटना के समय 10 या 15 लोग इकट्ठा हो गये थे। घटना स्थल पर भानू प्रताप मैं खुद थे। कड़ेदीन, धर्मेन्द्र और औरते थी जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है। घटना के समय मैं घटना स्थल पर बैठा था। मैं जहा बैठा था वहा कोई बाउन्ड्री वाल नहीं थी। घटना स्थल पर बाउन्ड्री वाल थी। बाउन्ड्री वाल करीब 5 या 6 फीट थी। बाउन्ड्री वाल ईट की थी। बाउन्ड्री की लम्बाई कितनी थी ध्यान नहीं दिया मौके पर वारदात लगभग दस मिनट हुई थी। मुल्जिमान लोग बाउन्ड्री वाल गिरा रहे थे। करीब चार छः ईटे गिराये थे। तभी झगड़ा हुआ था। मुल्जिमान हाथ में कुछ नहीं लिये थे। बाउन्ड्री मिनट या दो मिनट में गिराये थे। मुल्जिमान लोग भानू प्रताप को दौड़ाये थे। दौड़ाते समय मुल्जिमान और भानू प्रताप के बीच में दो-तीन कदम का अन्तर था। मुल्जिमान एक से दो मिनट दौड़ाये थे। जब मुल्जिमान दौड़ाये उसकी 25 या 30 फिट की दूरी पर मौके पर मैं भी वहा दौड़कर वहा गया। जब मैं मौके पर गया तब मैं मुल्जिमान को नहीं पकड़ा। जब मैं मौके पर पहुचा तब मैं भानू प्रताप को पकड़ा था। जिस समय मैं भानू प्रताप को पकड़ा उस समय भानू प्रताप बैठे हुये थे। जिस समय मैं भानू प्रताप को पकड़ा था उस समय मुल्जिमान भानू प्रताप से 5 मीटर की दूरी पर था। जब मैं भानू प्रताप को पकड़ा तो मुल्जिमान भानू प्रताप के यहा नहीं आये वही खड़े रहे। तब मैं भानू प्रताप को वहा से लिवाकर घर में चला गया। मैं भानू

प्रताप को लिवा करके घर में चला गया। मैं व भानू प्रताप घर के अन्दर दस पन्द्रह मिनट तक रहा। जब मैं भानू प्रताप को लिवा कर चला गया आपस में बात चीत कर रही थी। जब मैं भानू प्रताप के घर के अन्दर चला गया तब मड़हे में किसने आग लगायी नहीं देखा। यह कहना गलत है कि भानू प्रताप का रिश्तेदार होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी भानू प्रताप का रिश्तेदार होने के नाते झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने भानू प्रताप को न गाली गुप्ता दिया और न ही वारदात हुई।"

-निष्कर्ष:-

12- दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करें। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी भानू प्रताप द्वारा अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव पर अपराध अंतर्गत धारा-323, 435, 452, 504, 506 भा0 दं0 सं0 कारित करने का आरोप लगाया है। विधि व्यवस्था **गुरचरन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 460** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मूलभूत सिद्धान्त का समर्थन किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अपने वाद को सिद्ध करने का भार सदैव अभियोजन पर है।

13- परिवादी भानू प्रताप द्वारा अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव पर मारपीट कर चोट पहुंचाने का आक्षेप लगाया गया है। अपने कथन के समर्थन में परिवादी द्वारा साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि, " मुल्जिमान मड़हे में घुसकर लात मुक्का लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे।" किन्तु उल्लेखनीय यह है कि परिवाद पत्र व माननीय एस. पी. महोदय को भेजे गये प्रार्थना पत्र में लाठी डण्डे से मारने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार परिवाद पत्र और परिवादी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में विरोधाभास है। साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० जिरह दिनांकित 19.05.2017 में बतौर पी०डब्लू०-1 परिवादी भानू प्रताप द्वारा यह कथन किया गया है कि, " मुल्जिमान मेरे पास आये तो फावड़ा, हथौड़ा लेकर आये। फावड़ा, हथौड़ा से नहीं मारे थे....मुल्जिमान मुझे लात मुक्के से मार रहे थे। मुल्जिमान मुझे जोर-जोर से मार रहे थे एक-एक मुल्जिमान ने मुझे कितने मुक्के मारे मैं बता नहीं सकता।" पी०डब्लू०-2 सोमारी देवी परिवादी भानू प्रताप की भाभी है। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० जिरह दिनांकित 20.07.2017 में यह कथन किया है कि, "मुल्जिमान लोग भानू प्रताप को खदेड़े नहीं थे। भानू प्रताप वही थे। भानू प्रताप जहा थे मुल्जिमान उसके पास थे। मुल्जिमान लोग दो-चार हाथ की दूरी पर थे।... मुल्जिमान भानू प्रताप को लाठी डण्डे से नहीं मारे थे।...मुल्जिमान हमको लात मुक्का से नहीं मारे थे।" पी०डब्लू०-3 कृष्ण राज ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० जिरह दिनांकित 28.07.2017 में कथन किया कि, " मुल्जिमान हाथ में कुछ नहीं लिये थे। मुल्जिमान लोग भानू प्रताप को दौड़ाये थे। दौड़ाते समय मुल्जिमान और भानू प्रताप के बीच में 3-4 कदम का अन्तर था। मुल्जिमान 1 से 2 मिनट दौड़ाये थे। जब मुल्जिमान दौड़ाये उसके 25 या 30 फिट की दूरी पर मैं था। मौके पर मैं भी वहा दौड़कर गया। जब मैं मौके पर गया तब मैं मुल्जिमान को नहीं पकड़ा।" इस प्रकार लाठी डण्डे से मारने पीटने के सम्बन्ध में परिवादी के परिवाद पत्र, उसके साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं०, साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०-2 सोमारी देवी व पी०डब्लू०-3 कृष्ण राज (स्वतंत्र साक्षी) के साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। मारपीट के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

14- परिवादी द्वारा अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव पर बाउन्ड्री बनाने के विवाद को लेकर भट्टी-भट्टी गालिया देकर अपमानित करने का आक्षेप लगाया है। विधि व्यवस्था **विश्वनाथ बनाम सुरेश सिंह क्रिमिनल अपील संख्या 3941 सन 1978 ए. सी. सी. 1984(21) पेज 424** में यह कथन किया गया है कि लोक शान्ती भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान करना पर्याप्त है। जहां तक इस मुकदमें का सन्दर्भ है तो परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० व 246 दं०प्र०सं० में गाली देने के सम्बन्ध में कथन किया गया है। विधि व्यवस्था **विन्ध्याचल यादव बनाम के. पी. पाण्डेय एवं अन्य दाण्डिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 4686 वर्ष 1992 दिनांकित 22 अप्रैल 1992 ए. सी. सी. 1993 पृष्ठ 27** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत उन तथ्यों को लाना आवश्यक है जिससे कि अपमान हुआ हो तथा उससे कोई लोक शान्ती भंग करने हेतु उत्तेजित हो सकता था। अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गाली-गुप्ता से वादी मुकदमा का अपमानित होना स्वाभाविक है परन्तु उस प्रकोपन से प्रकोपित व्यक्ति वादी मुकदमा द्वारा लोक शान्ती भंग की गयी या अन्य अपराध कारित किया गया या नहीं, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से धारा 504 भा०दं०सं० का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है।

15- परिवादी द्वारा अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव पर वादी मुकदमा का मड़हा जलाकर अग्नि द्वारा रिष्टि कारित करने का आरोप लगाया गया है। अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवादी भानू प्रताप द्वारा कथन किया गया है कि, "अभियुक्तगण मड़हे में आग लगा दिये।" अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० जिरह दिनांकित 19.05.2017 में परिवादी भानू प्रताप द्वारा कथन किया गया कि, " मेरा मड़हा घटना स्थल से 10 कदम की दूरी पर है। मड़हा खुल्ला था। मेरे मकान से जिसका मुहाना हरिहर की तरफ है उससे मड़हा दस कदम पश्चिम की तरफ है। घटना स्थल से मेरे मकान का दरवाजा 10 कदम की दूरी पर है। **जब मैं मड़हा पर पहुँचा उसके 3-4 मिनट बाद मड़हा में आग लगी।** मड़हा में आदमी रहते थे। पशु भी रहते हैं। घटना के समय मड़ई में जानवर नहीं थे। मड़हा के अन्दर नाद नहीं था। मड़हा पूरा जला नहीं था, बचा लिया गया था। " साक्षी पी०डब्लू०-2 सोमारी देवी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० दिनांकित 20.07.2017 में कथन किया कि, " मड़हा जलाये नहीं थे। हमको भानू प्रताप को गिरा कर बाहर कर दिये थे फिर मड़हा को दिया सलाई से आग लगा दिये।" अपनी जिरह दिनांकित 20.07.2017 में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, " **जैसे आग लगी वैसे मैं मड़हे के पास पहुँची।**" पी०डब्लू०-2 सोमारी देवी परिवादी भानू प्रताप की भाभी हैं और प्रकरण में हितबद्ध साक्षी (Interested witness) हैं। विधि व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ मरकद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 537** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि- *"The testimony of a witness cannot be discarded merely because the witness is an interested one being relative friend or family member of the victim However in such cases the court has to analyse and scrutinize the evidence of such a witness more carefully.If after careful analysis of evidence the testimony of a witness is found credible and trustworthy the accused can be convicted on the basis of testimony of such a witness related to the victim."* पी०डब्लू० -3 कृष्ण राज द्वारा अपनी जिरह दिनांकित 28.07.2017 में कथन किया गया है कि, " **जब मैं भानू प्रताप को घर के अन्दर चला गया तो मड़हे में आग किसने लगाई नहीं देखा।**" परिवादी भानू प्रताप व पी० डब्लू०-2 सोमारी देवी के साक्ष्य से मड़हा जलने की बात सामने आती है किन्तु नामित अभियुक्तगण द्वारा ही उक्त मड़हे को जलाया गया यह संदेह से परे साबित नहीं होता है। साक्षी पी०डब्लू०-3 कृष्णराज जो प्रकरण में प्रस्तुत एकमात्र स्वतंत्र साक्षी हैं उनके द्वारा कथन किया गया है कि मड़हा किसने जलाया उन्होंने नहीं देखा।

16- परिवादी द्वारा अभियुक्तगण पर उपहति, हमला, सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कारित करने का आक्षेप लगाया गया है। परिवादी द्वारा परिवाद कथानक व एस. पी. महोदय को भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र में नामित अभियुक्तगण द्वारा मड़हे में घुसकर मारपीट करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। किन्तु साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवादी भानू प्रताप द्वारा कथन किया गया है कि मुल्जिमान मड़हे में घुसकर लात-मुक्का लाठी डण्डा से मारने लगे। उल्लेखनीय यह है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी० डब्लू०-3 कृष्ण राज ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० में अभियुक्तगण द्वारा मड़हे में घुसकर मारपीट करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि, " **जब मैं भानू प्रताप को पकड़ा तो मुल्जिमान भानू प्रताप के यहा नहीं आये वही खड़े रहे।** तब मैं भानू प्रताप को वहा से लिवाकर चला गया।" साक्षी कृष्ण राज परिवादी द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित एकमात्र स्वतंत्र साक्षी हैं जिसके साक्ष्य से उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कारित करने का आरोप साबित नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है।

17- परिवादी द्वारा अभियुक्तगण पर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप लगाया गया है। **विधि व्यवस्था मो० वाजिद व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य क्रिमिनल अपील नम्बर 2340/2023** दिनांकित 08-08-2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि, " *A bare perusal of Section 506 of IPC makes it clear that a part of it relates to criminal intimidation. Before an offence of criminal intimidation made out it must be established that the accused had an intention to cause alarm to the complainant.*" चूंकि परिवादी और उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान में परस्पर विरोधाभास है फलस्वरूप सम्पूर्ण घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह संदेह से परे साबित नहीं होता है कि नामित अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी दी गई।

18- परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि गवाहान धर्मेन्द्र व कबूतरा देवी ने आकर परिवादी व उसके परिवारजनों की जान बचायी। साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० के स्तर पर परिवादी द्वारा कबूतरा देवी को परीक्षित कराया गया। किन्तु साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० व 246 दं०प्र०सं० के स्तर पर कबूतरा देवी व

धर्मेन्द्र, जो परिवाद कथानक के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उन्हें परीक्षित नहीं कराया गया। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में घटना की तिथि 29.08.2011 बतायी गयी है किन्तु जिरह अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० दिनांकित 18.05.2017 में परिवादी भानू प्रताप द्वारा बतौर पी० डब्लू०-1 यह कथन किया गया है कि झगड़ा सितम्बर में हुआ था। अतः परिवादी के परिवाद पत्र और उसके साक्ष्य में विरोधाभास है।

19- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य रंजिश है। रंजिश दोनों पक्षों को समान रूप से भेदित करती है। जिस प्रकार वह यह संकेत करती है कि अभियुक्त ने रंजिश के चलते परिवादी के साथ घटना कारित की तो वही दूसरी तरफ यह भी इंगित करती है कि परिवादी ने रंजिश के चलते यह परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध योजित किया है जिसके कारण उसके साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० व 246 दं०प्र०सं० के स्तर पर किये गये कथन में परस्पर विरोधाभास है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डे से मारने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया किन्तु साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में लाठी डण्डे से मारने की बात कही गयी और पुनः साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० के स्तर पर लाठी डण्डे से मारने की बात का खण्डन किया गया। मड़हा जलने के सम्बन्ध में प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी कृष्णराज ने स्पष्ट कथन किया है कि मड़हे में आग किसने लगायी उसने नहीं देखा। ऐसे में जब घटना के परिवादी व साक्षी के बयान में ही विरोधाभास हो तो अभियुक्तगण पर आक्षेपित आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

20- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था State of Maharashtra v. Dnyaneshwar Laxman Rao Wankhede (2010)2 SCC CrI. 385: 2009 (15) SCC 200 में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जायेगा। विधि व्यवस्था भिकारी बनाम उ०प्र०राज्य 1965 (3) एस.सी.आर. 194 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि -" If by the evidence adduced in the case either by prosecution or by defence a reasonable doubt is created in the mind of the court as regards one or more ingredients of offence accused would be entitled to be acquitted."

21- मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, विधिक दृष्टांतों के अवधारणा, समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं किए गए हैं। अतः अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण अवधराज व राजदेव को परिवाद संख्या-1162/2011 में अपराध अन्तर्गत धारा-323, 435, 452, 504, 506 भा० दं० सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा आज की तिथि तक जो जमानते प्रस्तुत की गयी थी उसमें दाखिल बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल बन्धपत्र छः माह तक मान्य होंगे।

दिनांक-31.01.2024 ई०

(शिंजिनी यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम,
भदोही-ज्ञानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-31.01.2024 ई०

(शिंजिनी यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम,
भदोही-ज्ञानपुर।